कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 167 /11–सी–FP/UP/Min/29061/2017, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 22, 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि0 की ककरी परियोजना को लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वनभूमि के प्रस्ताव का लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0–**FP/UP/Min/29061/2017**)

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–308/मी0क्षे0/33, दिनांक 17.07.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु निरीक्षण रिपोर्ट में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जबकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्व की लीज की शर्तों का पालन न करते हुये उल्लंघन किया गया है। अतः संशोधित निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।
2. भूमि की भू–गर्भीय संरचना का भूगर्भ शास्त्री का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
3. परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण है। अतः संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।
4. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है, जबकि भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के चैप्टर–2 के पैरा–2.4 (iv) में "Provisions of CA will be applicable for renewal of a mining lease, including the area broken up prior to 25.10.1980, if the same was not applied earlier." का उल्लेख है। अतः प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न ऑनलाइन भाग–2 में धनराशि सहित अपलोड करे।
5. उपरोक्त बिन्दु सं0–4 के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।
6. उपरोक्त बिन्दु सं0–4 के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।
7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।
8. एन0पी0वी0 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी धनराशि के जमा किये जाने की वचनबद्वता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।
9. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र मूल में संलग्न नहीं है तथा जिला स्तरीय समिति से पारित मूल प्रस्ताव भी संलग्न नहीं किया गया है।
10. मुख्य वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
11. हार्डकापी भाग–1 व ऑनलाइन भाग–1 में परियोजना की लागत भिन्न–भिन्न है। अतः एक समान लागत अंकित करे।
12. हार्डकापी भाग–2 व ऑनलाइन भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना से सम्बन्धित विवरण अंकित नहीं किया गया है।
13. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर द्वारा भाग–3 में प्रस्ताव की संस्तुति नहीं की गयी है। अतः भाग–3 में प्रस्ताव की संस्तुति करते हुये ऑनलाइन अपलोड करे।
14. ऑनलाइन भाग–1 में रोजगार का विवरण एवं प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–57 पर संलग्न रोजगार विवरण में भिन्नता है। अतः एक समान रोजगार का विवरण फीड करे।

Acy-1568

15. प्रकरण में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्व में लीज की शर्तों के अनुसार वर्ष 2012–13 से अब तक लीज रेंट की धनराशि जमा नही किया गया है, जोकि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंधन की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यदि प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, तो उसका पालन सुनिश्चित करे अन्यथा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंधन की दशा में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही करते हुये उससे सम्बन्धित अभिलेख संलग्न करे।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

22/7

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 167 /11–सी– **FP/UP/Min/29061/2017**, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, ककरी परियोजना, ककरी–सोनभद्र।

22/7

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

90

Acy-1569